श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई ढांचा इस प्रकार का बनाया है कि उसको लेने के बाद किस प्रकार से उसको चलायेंगे ? क्या उसका कोआपरेटिव आधार रहेगा ? हमने मांग की है कि मजदूरों को उसका प्रबन्ध सौंपा जाये, उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में हमने कोई राय नहीं दी । लोगल काम्पीटेंस का जो सवाल उठाया था, उसके बारे में हमने जो एटार्नी जनरल की राय ली वह उनको भेज रहे हैं ।

12-40 hrs.

RE: SITUATION IN DELHI UNIVERSITY

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक सवाल उठा रहा हूं । दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन लड़के—श्री विकास देशपाण्डे, विजय स्नेही और नरेन्द्र शर्मा—सात दिनों से भूख हड़ताल पर हैं । इनके मुद्दे ये हैं—एक—विश्वविद्यालय में 21 लड़कों को सस्पेण्ड किया गया है, दूसरा—श्री राजकुमार जैन ने, जो कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, अपने इतिहास के पर्चे का उत्तर हिन्दुस्तानी में लिखा है, इसलिये उनका नतीजा नहीं निकाला गया है, तीसरे—ला-फैकल्टी में में 200 स्थानों को घटाया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को भरती होने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है, इस तरह से उनके चार-पांच मुद्दे है । इन सब मुद्दों को लेकर विद्यार्थी वहां आन्दोलन कर रहे हैं, सात दिन से भूख हड़ताल चल रही हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भक्त दर्शन जी और होम मिनिस्टर साहब को आदेश दें कि वे इसके बारे में शाम तक, हाउस उठने के पहले, बयान दें । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी मांगों को मान ले ताकि ये लड़के अपनी भूख हड़ताल वापस ले सकें ।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): Sir, it is an important point. I support the hon. Member. I request that the Minister must make a statement on it.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं । वहां पर ला-फैकल्टी बन्द हो गई है ।

श्री रवि राय : 200 स्थान घट गये हैं, विद्यार्थियों को भरती होने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है ।

MR. SPEAKER: I am not going to allow any more thing. He has already spoken on it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है । हिन्दी माध्यम से परीक्षा में उत्तर देने से अगर किसी को फेल किया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय इस दायित्व को ले ।

12.41 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

LAW COMMISSION'S REPORT ON INDIAN POST OFFICE ACT

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA): I beg to lay on the Table a copy of the Thirty-eighth Report of the Law Commission on the Indian Post Office Act, 1898. [*Placed in Library. See* No. LT—3826/70].

NOTIFICATIONS UNDER FORWARD CONTRACTS (REGULATION) ACT

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI DINESH SINGH): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S. O. 1526 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th April, 1970, issued under Section 6 of the Forward